



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग—4, खण्ड (ख)
(परिनियत आदेश)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 7 अक्टूबर, 2021
आश्विन 15, 1943 शक सम्बत्

उत्तर प्रदेश शासन
गृह (पुलिस) अनुभाग—9

संख्या यू०ओ०—110/छ:-पु०-9—21-85जी-98-न्याय—2
लखनऊ, 7 अक्टूबर, 2021

अधिसूचना

प०आ०—349

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या 49 सन् 1988) की धारा 3 की उपधारा (1) और धारा 4 की उपधारा (2) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के परामर्श से डा० अवनीश कुमार, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, लखनऊ को उक्त अधिनियम के अधीन दिल्ली विशेष पुलिस अधिष्ठान द्वारा अन्वेषित आयुर्वेद घोटाला से सम्बन्धित अपराधों का विचारण करने के लिए शासनादेश संख्या 3386/सात-न्याय—2—85जी/98, दिनांक 9 नवम्बर, 2000 द्वारा स्थापित अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश न्यायालय में विशेष न्यायाधीश के रूप में इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से नियुक्त करती हैं। ऐसे विशेष न्यायाधीश न्यायालय को न्यायालय, विशेष न्यायाधीश (आयुर्वेद घोटाला) के रूप में अभिहित किया जायेगा और उसके बैठने का स्थान लखनऊ में होगा।

आज्ञा से,
अवनीश कुमार अवस्थी,
अपर मुख्य सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. U.O.-110/VI-P-9-21-85G-98-Nyay-2, dated October 7, 2021:

No. U.O.-110/VI-P-9-21-85G-98-Nyay-2

Dated Lucknow, October 7, 2021

IN exercise of the powers under sub-section (1) of section 3 and sub-section (2) of section 4 of the Prevention of Corruption Act, 1988 (Act no. 49 of 1988) the Governor, in consultation with the High Court of Judicature at Allahabad, is pleased to appoint with effect from the date of publication of this notification in the *Gazette*, Dr. Avanish Kumar, Additional District and Sessions Judge, Lucknow in the court of Additional District and Sessions Judge established *vide* Government order no.-3386/VII-Nyaya-2-85G-98, dated November 9, 2000 as Special Judge for trial of the offences under the said Act relating to Ayurveda Scam investigated by Delhi Special Police Establishment. The court of such Special Judge shall be designated as the Court of Special Judge (Ayurveda Scam) and its place of sitting shall be at Lucknow.

By order,
AWANISH KUMAR AWASTHI,
Apar Mukhya Sachiv.